



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-949/2026/2341/22-2-2025-17(1141)/2025
लखनऊ: दिनांक: 16 जुलाई, 2026
आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, मथुरा में निरुद्ध सिद्धदोष महिला बंदी कैला उर्फ रूपनदेही (बन्दी सं०-68/2025) पत्नी श्री अशोक, ग्राम मघेरा, थाना-जैत, जनपद-मथुरा का निवासी है, महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-155/2024 में भा०द०वि० की धारा-147, 148, 323/149, 324/149, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-08, मथुरा के दण्डादेश दिनांक 10.02.2025 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में महिला बन्दी की अपील लम्बित है, महिला बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2025 तक 01 वर्ष 02 माह 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 01 वर्ष, 03 माह, 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-949/2026/2341(1)/22-2-2025 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ०प्र०।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।
- 3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा।
- 4- अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा।
- 5- निजी सचिव, मा० मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा० राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।